

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :- नयन गौतम आई.ए.एस.

अनवान :- राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- 150/2025

श्रीमती रेणु पत्नी श्री विकास कुमार जाति जाट निवासी चूनावढ तहसील व
जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

-- प्रार्थी

--:: बनाम ::--

1. रघुवीर पुत्र श्री गंगा राम जाति जाट निवासी चूनावढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) ।
2. रिपूदमन पुत्र श्री गंगा राम जाति जाट निवासी चूनावढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) ।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर ।

-- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत रास्ता

--:: उपस्थित अभिभाषक ::--

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. श्री संजय जनवेजा | प्रार्थी |
| 2. श्री रोबिन गुम्बर | अप्रार्थी -1 व 2 |
| 3. पैरोकार राज | अप्रार्थी -3 |

-- :: निर्णय ::--

दिनांक :- 17.10.2025

प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया गांव चूनावढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर की स्थाई निवासी है तथा काश्तकारी पेशा है। प्रार्थीया के कब्जा एवम स्वामित्व में वाके चक 24 जी जी पटवार हल्का चूनावढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 37 का किला नम्बर 6 से 11 व 14, 15 (प्रत्येक 0.253) कुल 2.024 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि है। इसी चक 24 जी जी के खाता संख्या 80/78 के मुरब्बा नम्बर 28 में अप्रार्थी संख्या 1 रघुवीर के नाम से तथा इसी चक 24 जी जी के खाता संख्या 96/54 के मुरब्बा नम्बर 28 व 37 अप्रार्थी संख्या 2 रिपूदमन के नाम से कृषि भूमि है। प्रार्थीया के रकबा में आने जाने के लिए कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं है। प्रार्थीया सरकारी रास्ता से होते हुए अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि में से चक 24 जी जी के खाता संख्या 80/78 के मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20 की पश्चिम दिशा की तरफ से प्रत्येक बीघा में 0.019

में है० (उत्तर से दक्षिण) तथा अप्रार्थी संख्या 2 की भूमि में से चक 24 जी जी के खाता संख्या 96/54 के मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर 21 की पश्चिम दिशा की तरफ से 0.019 है० (उत्तर से दक्षिण) तथा मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 1 की पश्चिम दिशा की तरफ से 0.019 है० (उत्तर से दक्षिण) में से अपने रकबा मुरब्बा नम्बर



37 के किला नम्बर 10 में प्रवेश करती है। प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 से रास्ता को स्वीकृत करवाने के लिए कई बार कहा गया है, पहले तो वह टाल-मटोल करते रहे, मगर अब दिनांक 15.07.2025 को अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 से रास्ता स्वीकृत करवाने की मांग की तो उन्होंने सहमति से रास्ता स्वीकृत करवाने से साफ इन्कार कर दिया गया है। यही वाद कारण है। प्रार्थीया के पास अपने रकबा में आने जाने के लिए कोई स्वीकृत अथवा वैकल्पिक रास्ता नहीं है, प्रार्थीया को अपने रकबा में आने-जाने व कृषि कार्य करने के लिए रास्ता की आत्यंतिक आवश्यकता है। इसलिए प्रार्थीया अपने रकबा में आने जाने के लिए रास्ता स्वीकृत करवाना चाहती है। उक्त आराजी अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र में होने के कारण प्रार्थना-पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार के अन्तर्गत आता है तथा उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना है कि प्रार्थीया को उसके रकबा में आने जाने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि में से चक 24 जी जी के खाता संख्या 80/78 के मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20 की पश्चिम दिशा की तरफ से प्रत्येक बीघा में 0.019 है० (उत्तर से दक्षिण) तथा अप्रार्थी संख्या 2 की भूमि में से चक 24 जी जी के खाता संख्या 96/54 के मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर 21 की पश्चिम दिशा की तरफ से 0.019 है० (उत्तर से दक्षिण) तथा मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 1 की पश्चिम दिशा की तरफ से 0.019 है० (उत्तर से दक्षिण) रकबा बतौर रास्ता स्वीकृत किया जावे तथा उक्त रकबा को राजस्व रिकार्ड में बतौर रास्ता अंकन करवाया जावे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट ली गई। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा इकबालिया जवाब पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार प्रार्थना पत्र की चरण सं० 1 स्वीकार है। यह सही है कि प्रार्थीगण के नाम से चक 24 जी जी के मुरब्बा नम्बर 28 व 37 में भूमि है। प्रार्थना पत्र की चरण सं० 2 स्वीकार है। प्रार्थीगण की भूमि के लिए रास्ता स्वीकृत नहीं है। प्रार्थना पत्र की चरण सं० 3 आंशिक स्वीकार है। अप्रार्थीगण ने समय अभाव के कारण शहर आने से इन्कार किया था। अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण से उनके द्वारा चाहे गए रास्ता की एवज में क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हो चुकी है तथा मौका पर रास्ता सहमति से चालू कर दिया गया है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गए रास्ता को स्वीकृत किये जाने में अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को मुआवजा राशि प्राप्त हो चुकी है। इसलिए अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 माननीय न्यायालय से किसी मुआवजा की अधियाचना नहीं करते हैं। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि में से चक 24 जी जी के खाता संख्या 80/78 के मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20 की पश्चिम दिशा की तरफ से प्रत्येक बीघा में 0.019 है० (उत्तर से दक्षिण) तथा अप्रार्थी संख्या 2 की भूमि में से चक 24 जी जी के खाता संख्या 96/54 के मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर 21 की पश्चिम दिशा की तरफ से 0.019 है० (उत्तर से दक्षिण) तथा मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 1 की पश्चिम दिशा की तरफ से 0.019 है० (उत्तर से दक्षिण) रकबा बतौर रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई।

- :: आदेश :: -

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी एवं वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है प्रार्थी एवं अप्रार्थी के मध्य रास्ता स्वीकृत करवाने बाबत आपसी सहमति है। प्रार्थी की भूमि के लिए रास्ता स्वीकृत किया जावे। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251-ए आर.टी.ए. एवम् तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। 251ए राज. काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु "वैकल्पिक रास्ते का अभाव" एवं "रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता" के बिन्दुओं पर विचारण किया गया। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में जाने हेतु रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने-जाने हेतु रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायिक दृष्टि से आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि में से चक 24 जी जी के खाता संख्या 80/78 के मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20 की पश्चिम दिशा की तरफ से प्रत्येक बीघा में 0.019 है० (उत्तर से दक्षिण) तथा अप्रार्थी संख्या 2 की भूमि में से चक 24 जी जी के खाता संख्या 96/54 के मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर 21 की पश्चिम दिशा की तरफ से 0.019 है० (उत्तर से दक्षिण) तथा मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 1 की पश्चिम दिशा की तरफ से 0.019 है० (उत्तर से दक्षिण) रकबा बतौर गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है।

अप्रार्थी द्वारा प्रतिकर की राशि पूर्व में प्राप्त की जा चुकी है। इसलिए प्रतिकर देय नहीं है।

तहसीलदार श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है, की उक्तानुसार रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन करे।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 17.10.2025 को जारी किया जाकर खुले न्यायालया में सुनाया गया।



(नयन मोल्लेम) आई.ए.एस.
उपरखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर